E-MAIL/FAX/SPEEDPOST

भारत सरकार **GOVERNMENT OF INDIA**
वित्त मंत्रालय **MINISTRY OF FINANCE**
राजस्व विभाग **DEPARTMENT OF REVENUE**
सीमा शुल्क आयुक्त का कार्यालय
OFFICE OF THE COMMISSIONER OF CUSTOMS
सीमा शुल्क गृह, विल्लिंग्टन आईलेंड, कोच्चिन-682009
CUSTOM HOUSE, WILLINGDON ISLAND, COCHIN-682009

Sevottam Compliant **An IS 15700 certified Custom House**

Website: www.cochincustoms.nic.in **Control Room: 0484-2666422**
E-mail: commr@cochincustoms.nic.in **Fax: 0484-2668468**
Ph: 0484-2666861-64/774/776

परिपत्र CIRCULAR. No. 08/2017

विषय : स्थाई व्यापार सुविधा समिति - दिनांक 27.04.2017 को आयोजित बैठक का कार्यवृत्त - संबंधित।

Sub: Permanent Trade Facilitation Committee - Minutes of the meeting held on 27.04.2017 Reg.

****

स्थायी व्यापार सुविधा समिति की 135वीं बैठक दिनांक 27.04.2017 को 1630 बजे सीमाशुल्क गृह, कोचिन के सम्मेलन कक्ष में सम्पन्न हुई। श्री पुल्लेला नागेश्वर राव, प्रधान आयुक्त ने बैठक की अध्यक्षता की।

The 135th meeting of the Permanent Trade Facilitation Committee was held at 16.30 hrs on 27.04.2017 in the Conference Hall of Custom House, Cochin. Shri Pullela Nageswara Rao, Principal Commissioner chaired the meeting.

बैठक में निम्नलिखित सीमाशुल्क अधिकारी उपस्थित थे: सर्वश्री/श्रीमती
The following officers of Customs were present. S/Shri/Smt

1. S.Anilkumar, Addl. Commissioner
2. Amreeta Titus, Deputy Commissioner
3. S. V. Prakash, Asst. Commissioner
4. Jimmy Joseph, Asst. Commissioner
5. Bhuvanachandran P., Scientist 'D', NIC
6. Sajeeb Hussain, Superintendent of Customs
7. Baiju Daniel, Appraising officer
8. V.Usha Superintendent of Customs

व्यापार और व्यापार संबंधी अन्य सरकारी संगठनों के उपस्थित प्रतिनिधि: सर्वश्री:
The Trade and other Govt. Organizations related to trade were represented by S/Shri:

1 Raj Vinod, Cochin Port Trust
2 Dr.Jesto George, FSSAI
3 V T Jadhav, Textile Committee
4 Prakash Rao, PQS
5. Milu Mathew, PQS
6 Dipin Kayyath, DP World
7 Rakesh K C CFS, CICFS
8 K.Suresh Babu, CFS (CPT)
9 V. Veeraraghav, CFS GDKL
10 Paul Abrao, CCHAA
11 A. A. Abdul Azees, CCHAA
12 Prakash Iyer, CSAA
13 J.Jayaprakash Naiken, CSAA
14 S.Ramakrishnan, Sea Food Exporters Association of India
15 Mohankumar, Consolidators Assn. of India
16 N.N.Menon, EPC for EOU & SEZ
17 P.M. Muraleedharan, Indian Chamber of Commerce
18 Abraham Philip, Indian Chamber of Commerce
19 Rajeev M C, FIEO

अध्यक्ष महोदय ने सभी सदस्यों का बैठक में स्वागत किया। पिछली बैठक के कार्यवृत्त और उस पर की गई कार्रवाई पर विचार किया गया। इसके बाद नए बिंदु उठाए गए।

The Chair welcomed the members to the meeting. The minutes of the previous meeting and the action taken in respect of points thereon was taken for consideration after which fresh points were taken up.

चर्चा के लिए उठाए गए नए बिंदु

FRESH POINTS TAKEN UP FOR DISCUSSION

बिंदु सं. 1 : सीमाशुल्क अधिनियम 1962 में संशोधनों का कार्यान्वयन- समस्याएं- (सीसीबीए)

Point No.1. IMPLEMENTATION OF AMENDMENT IN CA 1962- PROBLEMS (CCBA)

सीसीबीए के प्रतिनिधियों ने कहा कि सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 में हालही में किए गए संशोधनों के कारण निर्यातकों और सीमाशुल्क ब्रोकरों को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि इससे मूल दस्तावेज़ों को प्राप्त करने में देरी हो रही है और कोलंबो पोर्ट से कोचिन पोर्ट सहित सभी दक्षिणी बंदरगाहों में ट्रैन्शिपमेंट कारगो की टैन्सिट अवधि केवल एक दिन की हो गई है और अनुरोध किया कि बिना जुर्माने के आगम पत्रों को दायर करने की एक दिन की निर्धारित समय-सीमा में छूट दी जाए।

The representatives of CCBA stated that due to the implementation of the recent amendments in Customs Act, 1962 the importers and Custom Brokers are put through much hardship due to the delay in obtaining the original documents and the short transit time of merely one day of the transshipment cargo from Colombo port to all the southern ports including Cochin port and requested that the time limit of one day, prescribed for filing of Bills of Entry without fine may be relaxed.

अध्यक्ष महोदय ने कहा कि संशोधन का मूल उद्देश्य आगम पत्रों के पूर्व दाखिले को बढ़ावा देना है। फिलहाल, दायर करने में देरी के कारण लगे जुर्माने में छूट देने के अनुरोध के साथ प्रस्तुत किए गए सभी मामलों पर विभाग द्वारा सिस्टम डिले, लाइव बिल्स आदि कारणों पर ध्यान देते हुए उदारता एवं शीघ्रता से विचार किया जा रहा है। ये वैधानिक परिवर्तन भारत भर में लागू हैं, इसलिए स्थानीय स्तर पर इनमें छूट देने पर विचार नहीं किया जा सकता है।

The Chair stated that the basic intention of this amendment is to encourage filing prior bill of entry. For the time being, all the cases submitted with a request for waiver of fine due to delay in submission, are considered by the department liberally and instantly, considering the reasons such as system delay, live bills etc.. As these statutory changes are applicable to all over India, no such relaxation can be considered at the local level.

सीसीबीए प्राधिकारियों ने यह भी कहा कि एफबीओ कारगो के मामले में, जहाज़ के पहूंचने के बाद ही फ्राइट मेमो प्राप्त होता है और यह जानना चाहा कि क्या फ्राइट विदेशी मुद्रा में दर्शाते हुए बिलों को दायर किया जा सकता है।

The CCBA authorities also submitted that in case of FOB cargo, freight memo is received only after arrival of vessel and enquired whether Bills can be filed showing the freight in foreign currency.

अध्यक्ष महोदय ने सूचित किया कि बिदेशी मुद्रा में फ्राइट दर्शाते हुए बिलों को दायर करने के लिए पहले से प्रावधान मौजूद हैं।

The Chair informed that provisions are already there for filing bills showing freight in foreign currency.

बिंदु सं. 2 : सीबीईसी अधिसूचना 36/2017 के अनुसार रु. 1000/- का जहाज़ संशोधन प्रभार (सीसीबीए)

Point No.2. VESSEL AMENDMENT CHARGES OF Rs.1000/- AS PER CBEC NOTFN.36/2017 (CCBA)

सीसीबीए ने कहा कि अधिसूचना के अनुसार जहाज़ संशोधन प्रभारों के रूप में रु. 1000/- की राशि का भुगतान किया जाना है; जबकि सीमाशुल्क गृह द्वारा जारी व्यापार सुविधा सं. 13/2015 में यह उल्लेख किया गया था कि जहाज़ के नाम में संशोधन की प्रथा को समाप्त किया गया है। वर्तमान सीबीईसी अधिसूचना उक्त व्यापार सुविधा परस्पर विरुद्ध हैं इसलिए उन्होंने व्यापर सुविधा में दिए गए अनुदेशों को बनाए रखने और जहाज़ संशोधन के लिए कोई प्रभार नहीं वसूलने का अनुरोध किया।

The CCBA submitted that as per the Notification an amount of Rs.1000/- is to be paid as the vessel amendment charges; whereas in the Trade facility No.13/2015 issued by Custom House, it was mentioned that the practice of amendment of vessel name was discontinued. As the present CBEC notification is contradictory to the Trade Facility, they requested for upholding the instruction in the Trade Facility and no amendment charges are levied for vessel amendment.

अध्यक्ष महोदय ने सूचित किया कि दिनांक 23.03.2015 को जारी व्यापार सुविधा सं. 13/2015 अभी भी लागू है चूंकि जहाज़ के नाम में संशोधन ऑनलाइन किया जाता है और सिस्टम में यह स्वत: अपडेट हो जाता है तथा इसके लिए केवल ऐसे मामलों में प्रभार वसूला जाएगा जब निर्यातकों द्वारा वास्तविक (फिसिकल) रूप में संशोधन का अनुरोध किया जाएगा।

The Chair informed that the Trade Facility No.13/2015 issued on 23.03.2015 is still in force as the amendment of vessel name is carried out online and getting updated in the systems automatically and the levy would be applicable only in cases where there is a physical request for amendment by the exporters.

बिंदु सं. : एमईआईएस स्कीम के तहत प्रयोजन की घोषणा करने से संबंधित समस्याएं (सीसीबीए)

Point No.3. ISSUES RELATED TO THE DECLARATION OF INTENT UNDER MEIS SCHEME (CCBA)

सीसीबीए ने कहा कि 327 नौवहन बिलों में उनके सदस्यों द्वारा 'एमईआईएस के लिए प्रयोजन' के तहत गलती से 'वाई' के स्थान पर 'एन' लिखा गया और इस मामले का समाधान करने के लिए इसे जेडीजीएफटी के साथ उठाने का अनुरोध किया।

The CCBA submitted that in around 327 shipping bills the entry against 'intent for MEIS' was erroneously entered as 'N' instead of 'Y' by their members and requested to take up the matter with JDGFT for a solution.

अध्यक्ष महोदय ने सूचित किया कि यह मामले उनके सदस्यों द्वारा सीधे डीजीएफटी के साथ उठाया जा सकता है क्योंकि यह सीमाशुल्क से संबंधित मामला नहीं है। इसके अलावा डीजीएफटी ने दिनांक 08.12.2015 की सार्वजनिक सूचना 47/2015 में इस मामले पर पहले ही अनुदेश जारी कर दिए हैं।

The Chair informed that this issue can be directly taken up with DGFT by their members as this is not a Customs related issue. More over DGFT have already issued instruction in this matter vide PN 47/2015 dated 08.12.2015.

श्री एन.एन. मेनने कहा कि पहले ऐसे मामलों में सीमाशुल्क द्वारा जारी एनओसी डीजीएफटी स्वीकार करता था। अभी सब कुछ ऑनलाइन होने के कारण सीमाशुल्क ने इसप्रकार का एनओसी करना बंद कर दिया है। वर्तमान में इस घोषणा को महत्वपूर्ण बनाया गया है और जो इस घोषणा में दिया जाता है केवल उसी को माना जाता है।

Shri N N Menon stated that earlier, DGFT was accepting the NOC issued by the Customs in such case. As everything is done online, Customs has stopped issuing such NOCs. Presently the declaration is made important and whatever is given in the declaration alone would be considered.

अध्यक्ष महोदय ने कहा कि यह एक पुराना मामला है जो दोनों मंत्रालयों ने सुलझा लिया है और फिलहाल इसमें विभाग की कोई भूमिका नहीं है।

The Chair stated that this is an older issue which got already settled between the two ministries and department has no role in this issue at present..

बिंदु सं.5 : सड़क या रेल मार्ग से ट्रैन्शिपमेंट के लिए किसी प्रक्रिया हेतु अनुरोध (सीएसएए)

Point No.5. REQUEST FOR A PROCEDURE FOR TRANSSHIPMENT BY ROAD OR RAIL(CSAA)

सीएसएए के सदस्यों ने कहा कि वर्तमान में कोचिन पोर्ट से समुद्र के मार्ग से ट्रैन्शिपमेंट किया जाता है और इसके लिए नियत प्रक्रिया निर्धारित है। उन्होंने रेल/सड़क मार्ग से ट्रैन्शिपमेंट के लिए कोई प्रक्रिया

निर्धारित करने का अनुरोध किया क्योंकि तूतीकोरिन, चेन्नै और वैसाग आदि बंदरगाहों की तरह कोचिन पोर्ट से सड़क या रेल मार्ग से ट्रैन्शिपमेंट का कोई प्रावधान नहीं है।

The members of CSAA submitted that Transshipment via Cochin Port is presently done through sea and specific procedure for carrying out this operation is set in place. They requested for chalking out a procedure for transshipment by rail/road as there is no provision for transshipment through road or rail from Cochin port as in other ports like Tuticorin, Chennai and Vizag etc.,

अध्यक्ष महोदय ने सूचित किया कि इस सीमाशुल्क गृह द्वारा आईसीईएस में किसी बंदरगाह से दूसरे बंदरगाह तक कारगो के ट्रैन्शिपमेंट के लिए मोड्यूल के कार्यान्वयन के संबंध में व्यापार सुविधा सं. 8/2014 दिनांक 19.02.2014 जारी की है जिसमें सड़क/रेल मार्ग से ट्रैन्शिपमेंट की प्रक्रिया को विस्तार से दिया गया है उन्होंने सदस्यों से उक्त व्यापार सुविधा पर ध्यान देने को कहा।

The Chair informed that a Trade Facility No.8/2014 dated 19.02.2014 issued by this Custom House on implementation of module for transshipment of cargo from a seaport to another seaport in ICES wherein the procedure to be followed for transshipment by road/rail has been elaborated and asked the members to go through it.

श्री प्रकाश अय्यर ने कहा कि वे उक्त व्यापार सुविधा के अनुदेशों का अध्ययन करेंगे और अगर कोई आवश्यकता हो, तो बाद में इस पर चर्चा करेंगे।

Shri Prakash Iyer stated that they would study the instruction in the Trade facility and would revert back with requirements, if any.

बिंदु सं.6: ईएन ब्लॉक मूवमेंट, डेलिवरी आदेश और आईजीटीपीएल के माध्यम से एसईजेड 4 के लिए ईडीआई सूविधाएं (सीएसएए)

Point No.6. REQUEST FOR EDI FACILITIES FOR EN BLOC MOVEMENT, DELIVERY ORDERS AND SEZ 4 THROUGH IGTPL (CSAA)

सीएसएए के श्री प्रकाश अय्यर ने सूचित किया कि कोच्ची में वर्तमान में कंटेनरों का ईएन ब्लॉक मूवमेंट मैनुअल प्रोसेसिंग के माध्यम से किया जाता है, जबकि अन्य पोर्टों में ईडीआई के माध्यम से और नि:शुल्क अवधि समाप्त हो जाने पर कंटेनर स्वत: नियत सीएफएस में पहुंचाए जाते हैं तथा यह अनुरोध किया कि कोच्ची में यह सुविधा ईडीआई के माध्यम से ऑनलाइन बनाने हेतु उचित कदम उठाए जाएं।

Shri Prakash Iyer from the CSAA informed that in Kochi, en bloc movement of container are presently done only through manual processing, while in other ports it is through EDI and containers get moved automatically to nominated CFS on expiry of free time and request to take steps for making this facility online through EDI system in Kochi.

जीडीकेएल के श्री वीरराघव ने सूचित किया कि कंटेनर सेल से जारी सत्यापन और मूवमेंट फार्म के पृष्ठांकन को छोड दिया जाए, तो कंटेनरों को स्वत: सीएफएस में पहुंचाया जा सकता है।

Shri Veeraraghav from GDKL informed that but for the verification and endorsement of the Movement Form issued from Container cell, the containers could move to CFS automatically.

श्री भुवनचंद्रन ने कहा कि कोच्ची में भी सीएफएसों तक कंटेनरों की मूवमेंट सिस्टम के माध्यम से की जाती है। सिस्ट में अंदर प्रवेश के समय कंटेनरों के एन ब्लॉक मूवमेंट को स्वत: अनुमोदित किया जाता है और नियत सीएफएसों तक कंटेनरों के मूवमेंट के लिए गेट मॉड्यूल पर कंटेनरों की सूची उपलब्ध होती है। गेट पर सभी प्रकार के ब्यौरे उपलब्ध होते हैं, इसलिए गेट मॉड्यूल की शुरुआत के समय की प्रकिया के समान मूवमेंट फार्म और उसके पृष्ठांकन की आवश्यकता नहीं है।

Shri Bhuvanachandran stated that in Kochi too, movement of containers to designated CFS is done through the system. At the time of Entry Inward in the system, en bloc movement of containers is approved automatically and the list of containers is available with the gate module for automatic movement of containers to the designated CFSs. Since all the details of the containers are available at the Gate, there is no need for the movement form and its endorsement, as it was used at the time of introduction of Gate module.

अध्यक्ष महोदय ने कहा कि इस मामले पर कंटेनर सेल के परामर्श से विचार किया जाएगा और अगर महत्वपूर्ण नहीं पाया गया, तो मूवमेट फार्म को समाप्त किया जाएगा।

The Chair said that the issue would be looked into in consultation with Container Cell and the movement form would be done away with, if found not important.

बिंदु सं. 7: एलडीसी देशों से हस्ताक्षरों की सूची प्राप्त होने में देरी (काजू ईपीसी)

Point No.7: DELAY IN GETTING LIST OF SIGNATORIES OF LDC COUNTRIES (CASHEW EPC)

काजू निर्यात संवर्धन परिषद के प्रिननिधियों ने कहा कि उन्हें एलडीसी देशों से नि:शुल्क आयात का लाभ उठाने में कठिनाई हो रही है क्योंकि काजू के शिपमेंट के लिए एलडीसी देशों के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं की सूची उपलब्ध करवाने में सीमाशुल्क प्राधिकारियों की तरफ से देरी हो रही है।

The representatives of Cashew Export Promotion Council have submitted that they experience difficulty in availing duty free import from LDC countries as there is delay with Custom authorities in making available the list of authorized signatories of the LDC countries for the shipment of cashew.

श्री एस.वी. प्रकाश ने कहा कि ऐसे मामलों की संख्या बहुत कम है और विभाग ऐसे बिलों का अस्थाई मूल्यांकन कर बैंक गारंटी के प्राप्त होने पर निकासी दे दिया करता था क्योंकि काजू पर पिछले बजट में ही शुल्क का प्रावधान लगया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि इस मामले को अवर सचिव, सीबीईसी के साथ उठाया गया है और उन्होंने ने मामले पर विचार करने का आश्वासन दिया है।

Shri S V Prakash said that there are very few such cases and department used to assess such bills provisionally and clearance is given on obtaining Bank Guarantee, as cashew was imposed with duty only in the last budget. He added that the matter was taken up with the Under Secretary, CBEC who promised that he would look into this matter.

अध्यक्ष महोदय ने ट्रैन्सिट अवधि में सुधार लाने और त्वरित निकासी के लिए प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं की सूची ई-मेल से प्राप्त करने के लिए इस मामले को बोर्ड के साथ उठाने का आश्वासन दिया।

The Chair promised to take up this issue with the Board for improving the transit time and get the copies of authorized signatories via e-mail for a speedy clearance.

बिंदु सं.8: सेवा कर को सीआईएफ के 1.4% की दर पर नियत करना (काजू ईपीसी)
Point No.8: FIXATION OF SERVICE TAX @1.4% of CIF (CASHEW EPC)

काजू ईपीसी प्राधिकारियों ने कहा कि वित्त मंत्रालय ने दिनांक 13.04.2017 को एक सूचना जारी की है जो आयातित माल के सीआईएफ मूल्य के 1.4% की दर पर सेवा कर का आकलन करने के संबंध में है, जबकि एफओबी ठेके का वास्तविक सीआईएफ इस दर से काफी कम है और अनुरोध किया कि इस मामले पर विचार किया जाए और इसपर उपचारात्मक कार्रवाई का सुझाव दिया जाए।

The Cashew EPC authorities submitted that Ministry of Finance has issued a Notification dated 13.4.2017 regarding calculation of service tax @ 1.4% of the CIF value of imported goods where the actual CIF of FOB contract is much below this rate and requested to consider this issue for discussion and for suggesting remedial action.

श्री एन.एन. मेनन ने कहा कि यदि एफओबी के आधार फ्राइट का भुगतान किया जाता है, तो इस निर्धारण में कोई समस्या नहीं है; ऐसे मामलों में जहां ठेका सीएण्डएफ आधार पर हो, जहां फ्राइट भी मूल्य में शामिल हो और फ्राइट बिल अलग से उपलब्ध/दर्शाया नहीं गया हो, तो आयातक को 1.4% की दर से सेवा कर का भुगतान करना होगा।
Shri N.N.Menon stated that if the freight is paid on FOB basis, there is no issue of this fixation; whereas in case the contract is on C&F basis where the freight is included in the price, and the freight bill is not available/shown, the element of service tax @ 1.4% is to be paid by the importer.

अध्यक्ष महोदय ने कहा कि यह मामला अपने आप में सेवा कर से संबंधित है सीमाशुल्क से नहीं।
The Chair stated that this is a Service tax issue and not a Customs related issue per se.

बिंदु सं.9 : तीसरे पक्षों द्वारा निर्यात ब्यौरों को अप्राधिकृत रूप से देखा जाना (सीफुड ईएआई)
Point No.9.UNAUTHORISED ACCESSING OF EXPORT DETAILS BY 3RD PARTIES (SEAFOOD EAI)

सीफुड एक्सपोर्टर्स एसोसएशन ऑफ इंडिया के प्रतिनिधियों ने कहा कि यह पाया गया है कि विदेशी खरीदरों के पते, उत्पाद के ब्यौरे और मूल्य के ब्यौरे जैसे विवरण तीसरे पक्षों द्वारा अवैधानिक रूप से देखे जाते हैं और उनके द्वारा कम मूल्य कोट करना निर्यात बाज़ारों को प्रभावित करता है। उन्होंने अनुरोध किया कि कुछ ऐसी प्रणाली स्थापित की जाए जिससे उक्त विवरणों तक तीसरा पक्ष नहीं पहुंच पाए।
The representatives of Seafood Exporters Association of India submitted that it was noticed that the export details such as overseas buyers address product details and the price details etc. are being unlawfully accessed by third parties and their under quoting affects the export markets. They requested for putting in place a system wherein these details are made inaccessible to third parties.

अध्यक्ष महोदय ने सूचित किया कि ऐसे विवरण कई साइटों पर उपलब्ध हैं। आईसीईएस कभी भी ऐसा डाटा जनता से साझा नहीं करता है। आरटीआई प्रश्नों में भी विभाग किसीको ऐसी सूचना नहीं देता है और उनसे कहा कि कोई विशेष मुद्दा, यदि हो, तो बताए ताकि उस पर कार्रवाई की जा सके।

The Chair informed that these details are available in so many sites. ICES never shares such data to public. Even in RTI queries, department used to deny access of these details to anyone and asked them to be specific for taking action, if any.

बिंदु सं. 10 : ब्रांड दर शुल्कवापसी निर्धारित करने के लिए ईपी कॉपी
Point No.10 EP COPY IN FIXING BRAND RATE DRAWBACK

श्री एन.एन. मेनन**,** ईपीसी फॉर ईओयू एवं एसईजेड इकाई ने सूचित किया कि ब्रांड दर शुल्कवापसी निर्धारित करने के लिए वे केंद्रीय उत्पाद शुल्क प्राधिकारियों को मूल ईपी प्रतियां प्रस्तुत किया करते थे। क्योंकि अभी ईपी प्रतियों को समाप्त कर दिया गया है इसलिए इस संबंध में केंद्रीय उत्पाद शुल्क प्राधिकारियां को उचित निर्देश दिए जाएं और ब्रांड दर निर्धारित करते समय बिलों के ब्यौरे प्राप्त करने के लिए उनको भी सिंगल विंडो प्रणाली में एक्सस दिया जाए।

Shri N.N.Menon, EPC for EOU and SEZ Unit informed that for fixation of Brand Rate drawback, they used to submit copy of the original EP copies to the Central Excise authorities. As EP Copy is done away with, he requested that necessary instruction may be issued to Central Excise authorities in this line and they may also be given access the single window system for getting the details of the bills while fixing Brand Rate.

अध्यक्ष महोदय ने कहा कि यह मुद्दा केंद्रीय उत्पादशुल्क से संबंधित है और वे उस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करेंगे।

The Chair stated that this is an issue relates to Central Excise and he would take necessary action.

एफएसएसएआई के डॉ. जेस्टो जॉर्ज ने सूचित किया कि उन्होंने प्रयोगशाला शुल्क के भुगतान में देरी के लिए जुर्माना लगाना शुरू किया है। सिंगल विडो के माध्यम से एफएसएसएआई को बिल संदर्भित होने और जांच पूरी होने के बाद आयातक को 48 घंटों के भीतर प्रयोगशाला शुल्क अदा करना है; प्रयोगशाला शुल्क में भुगतान की देरी के लिए प्रति दिन 1000/- रु. की दर से जुर्माना लगाया जा रहा है।

Dr. Jesto George of FSSAI informed that they started charging fine for delayed payment of Laboratory fees. Once the bill is referred to FSSAI through single window and scrutiny is over and application is accepted by FSSAI, the time limit fixed for the importer to pay the Laboratory Fee is within 48 hours; for delayed payment of lab fee Rs.1000/- per day is being charged as fine.

चर्चा के लिए कोई अन्य बिंदु नहीं उठाए जाने के कारण अध्यक्ष महोदय ने सदस्यों को धन्यवाद देते हुए बैठक समाप्त होने की घोषणा की। स्थाई व्यापार सुविधा समिति समिति की अगली बैठक की तारीख सीमाशुल्क गृह के वेबसाइट www.cochincustoms.nic.in पर सूचित की जाएगी। चर्चा हेतु यदि कोई मुद्दा हो तो शीघ्र भेजें। किसी भी तरह की पूछताछ फोन नं.0484-2667040 या ई मेल ccu@cochincustoms.gov.in या ccucochin@gmail.com के माध्यम से की जा सकती है।

Since no other points came up for discussion, the Chair declared the meeting closed with a word of thanks. The date for next meeting of the Permanent Trade Facilitation Committee will be intimated through the Custom House website www.cochincustoms.nic.in. Points for discussion, if any, may be sent at the earliest. Enquiries if any may be made at the telephone number 0484-2667040 or by email at ccu@cochincustoms.gov.in or ccucochin@gmail.com

Sd/-

(पुल्लेला नागेश्वर राव Pullela Nageswara Rao)
प्रधान आयुक्त Principal Commissioner

S.No. S 65/11/2015 – CCU Cus. Pt II
तारीख **Dated:11.05.2017**

//अनुप्रमाणित Attested//

(वी. उषा V. Usha)
सीमाशुल्क अधीक्षक (सी.सी.यू.) Supdt. of Customs (CCU)

प्रस्तुत **Submitted to:**

The Chief Commissioner of Central Excise, Customs & Service Tax, Kerala Zone, Cochin.

The Additional Director General, Directorate of Tax Payer Service, Bangalore Zonal Unit, 4th Floor TTMC Building , Above BMTC Bus Stand, Domlur, Bangalore-560071.

प्रतिलिपि प्रेषित **Copy to :**

Additional Commissioner

All D.Cs & A.Cs

All members